न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 31/2021

1. शिवचरण पुत्र शिवसहाय
2. मुकुटबिहारी पुत्र शिवसहाय
3. कृष्णमुरारी पुत्र शिवसहाय
4. श्यामबिहारी पुत्र शिवसहाय
5. शिवकुमार पुत्र शिवसहाय
6. रतनप्रकाश पुत्र शिवसहाय

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा दौसा राज0

...अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार भाण्डारेज तहसील दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार भाण्डारेज दिनांक 28.7.2021 बप्रकरण संख्या 77/2021 उनवानी सरकार बनाम शिवचरण आदि अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अभिभाषक

Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 2.9.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, भाण्डारेज ने दिनाक 28.7.2021 को ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा के आ0ख0 न0 2722 रकबा 0.02 है. किस्म सिवायचक (गै0मु0रास्ता) भूमि पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं लगान के 50 गुना शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि उप तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 28.7.2021 विधि प्रक्रिया, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। शीर्षक प्रकरण में अपीलांट के विरूद्व अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम सूचना पत्र इस आशय का उप तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा जारी किया गया कि अपीलांट्स ने आ0ख0नं0 2722 चरागाह के रकबा 2 एयर पर अतिक्रमण किया है। उप तहसील कार्यालय भाण्डारेज द्वारा पटवारी हल्का के प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 91 दिनांक 2.4.2021 का अवलोकन नहीं किया। पटवारी हल्का द्वारा आराजी खसरा [illegible]22 रकबा 6 एयर गै0मु0रास्ता पर अतिक्रमण के संबंध में खसरा नंबर पटवारी ह[illegible] ने अपीलांट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के [illegible] के आधार पर अपीलांट का मकान 50 वर्ष से अधिक समय से बना होना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया [illegible] अधीनस्थ उप तहसीलदार भांडारेज ने खसरा नंबर 2722 चरागाह के 2 एयर भू भाग [illegible] अपीलांट्स को अतिक्रमी बताकर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार प्रतिवेदन पटवारी हल्का व आदेश उप तहसीलदार में भिन्नता है। उप तहसील कार्यालय से अपीलांट्स के विरूद्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:38 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....2 पर

सामूहिक नाम अंकित कर सूचना पत्र जारी किया गया है, पृथक से सूचना पत्र जारी किया जाना कानूनन आवश्यक है। अपीलांट मुकुटबिहारी व श्यामबिहारी के नाम कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है। अपीलांट मुकुटबिहारी व श्यामबिहारी के विरूद्ध पारित आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण प्रश्नगत आदेश निरस्त योग्य है। दिनांक 16.7.2021 को अपीलांट्स शिवकुमार, कृष्णमुरारी, रतनप्रकाश, शिवचरण ने उप तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली नहीं किया गया। अपीलांट के पास छाया प्रति उपलब्ध है जिस पर प्राप्ति के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय ने सूचना पत्र का उत्तर को बिना देखे स्वैच्छिक रूप से प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। दिनांक 16.7.2021 को उप तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त कर उपस्थित अपीलांट्स को आदेशित किया गया था कि मौके पर पैमाइश करवाकर आम रास्ता की स्थिति को पत्रावली मे मंगवाकर आपको पुनः सूचित कर देंगे किन्तु अपीलांट्स को बिना सूचना दिये प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स ने अपने सूचना पत्र के उत्तर में स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2720 व समीपस्थ खातेदार अयोध्या प्रसाद की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2725 व 2726 के बीच गै0मु0रास्ता है जिस पर अयोध्या प्रसाद अवैध रूप से पुख्ता दीवार निर्माण करवाना चाहता है। अपीलांट ने अयोध्याप्रसाद, राज0 सरकार द्वारा जिला कलक्टर दौसा व तहसीलदार दौसा को पक्षकार बनाकर वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश दौसा में उनवानी शिवचरण बनाम अयोध्याप्रसाद आदि प्रस्तुत कर रखा है जो न्यायालय में विचाराधीन है। सक्ष्म न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते हुए अयोध्याप्रसाद ने आम रास्ता की भूमि पर दीवार का निर्माण उपतहसील कार्यालय से मिलकर कर लिया तथा आम रासता का अस्तित्व अपीलांट की भूमि में बताकर उपतहसीलदार भाण्डारेज ने अपीलांट के विरूद्ध स्वैच्छिक प्रश्नगत आदेश फरमाया है। प्रश्नगत आदेश प्रचलित करने से पूर्व उप तहसीलदार ने अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भाण्डारेज के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का भाण्डारेज द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक भाण्डारेज से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक भाण्डारेज की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट्स शिवकुमार, शिवचरण, कृष्णमुरारी व रतनप्रकाश नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2072 में राजकीय सिवायचक गै0मु0रास्ता भूमि खसरा नंबर 2722 रकबा 0.02है0 पर कब्जा किया जाना अंकित है। अपीलांट्स द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर [illegible] किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्र[illegible] आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर[illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:38 IST
Reason: SelfAttested

के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होकर नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल नहीं है। अधीनस्थ उप तहसीलदार भांडारेज ने अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत जवाब को शामिल नहीं किया गया एव ना ही निर्णय में हवाला अंकित किया गया। साथ ही अपीलांट्स को नोटिस भी पृथक–2 जारी किये जाने चाहिए थे जो नहीं किये गये है। साथ ही अपीलांट शिवकुमार को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। मात्र औपचारिक आधार पर सभी अपीलांट्स को एक ही नोटिस जारी कर प्रकरण का निस्तारण किया गया है। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया जाने से पूर्व उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। चूँकि इस प्रकरण में सभी अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं मिलना अवगत होता है। अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.7.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उप तहसीलदार भाण्डारेज को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में अपीलांट्स को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब को नंबर पर लिया जाकर व सिवायचक (गै0मु0रास्ता) भूमि खसरा नंबर 2722 का भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारीयान की संयुक्त टीम गठित कर भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 2 सितम्बर 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:38 IST
Reason: SelfAttested